न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 20 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023 / 26

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. मुकेश पुत्र श्री नथमलजी डोसी मैसर्सः– प्रियन्त कुमार एण्ड ब्रदर्स, बस स्टैण्ड कलिजंरा, तह बागीदौरा, बांसवाडा 2. Mukesh Kumar Rawat m/s Badrish Trading Company 26, Pratap Nagar, Behind Golimar Garden, Amer Road, Jaipur 3. Jitender m/s Rajat Enterprises, 6 th, KM Stone, Teja Market Near Highway Hotal, Sirsa Road Hisar (Haryana) 125001

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05–03–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री दिलीप सिंह** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **10–02–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **21–02–2022** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्सः– प्रियन्त कुमार एण्ड ब्रदर्स, बस स्टेण्ड कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री मुकेश पुत्र श्री नथमलजी डोसी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स प्रियन्त कुमार एण्ड ब्रदर्स, बस स्टेण्ड कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** 40 पैक जार जिसमे प्रत्येक जार में **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** 500–500 एम.एल. के विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Vanaspati**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)

(Brand Dairy Plus) के 4 पैक जार वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 600/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Vanaspati (Brand Dairy Plus) के 4 पैक जार के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1118** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/247–248 दिनांक 19–07–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 627 दिनांक 01–07–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1118** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दिनांक 13–02–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 25–04–2023 को अप्रार्थी सं. की ओर से, दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा

01–08–2023 को अप्रार्थी सं 2 व 3 की ओर श्री महेन्द्र कुमार जैन व श्री वैभव गाँधी का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 05–03–2024 को अप्रार्थी सं 1 व अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपना अपराध स्वीकार करते है तथा यह अभियुक्तगणो का प्रथम अपराध है। न्यायालय रहम कर पत्रावली फैसल करे।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 247–248 दिनांक 19–07–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 627 दिनांक 01–07–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1118** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपना अपराध स्वीकार करते है तथा यह अभियुक्तगणो का प्रथम अपराध है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **Vanaspati (Brand Dairy Plus)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **मुकेश पुत्र श्री नथमलजी डोसी मैसर्सः– प्रियन्त कुमार एण्ड ब्रदर्स, बस स्टैण्ड कलिजंरा, तह बागीदौरा, बांसवाडा को रूपये 10000 / – (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र)**, Mukesh Kumar Rawat m/s Badrish Trading Company 26, [illegible] Nagar, Behind Golimar Garden, Amer Road, Jaipur [illegible] 50000 **(अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र)**, Jitender m/s Rajat Enterprises, 6 th, K[illegible] Stone, Teja Market Near Highway Hotal, Sirsa Road Hisar (Haryana) 125001 **को रूपये 100000 / –**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

(अक्षरे एक लाख रुपया मात्र)से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested